


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रवालियर, सर्किट कोर्ट-रीवा

प्रिला- रीवा ₹५००००



(2)

R. 2590-I/2  
सोनकलिया पुत्री स्व० इन्द्रपतिराम ब्रा०, पत्नी स्व० श्री

ददोलराम ब्रा०, उम्र- 68 वर्ष, पेशा- खेती, निः ग्रा० सहुआर,

धाना- जियाक्कन, तहसील- देक्सर, जिला- सिंगरौली ₹५००००

—निगरानीकर्ता आवेदक

क्रमांक २०१३

राजस्व अधिकारी पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक २६-२७/२ को द्वाप्त

### ब्राम

रामपुसाद पिता लालमन राम ब्रा० उम्र- 72 वर्ष, पेशा- खेती,

निः ग्रा० सहुआर, धाना- जियाक्कन, तह० देक्सर, जिला- सिंगरौली,

गुरदनिया पुत्री स्व० इन्द्रपतिराम ब्रा० पत्नी स्व० बैजनाथराम ब्रा०,

४२४ रघुवर पिता महेश प्रसाद साकेत, उम्र- 42 वर्ष, पेशा- नौकरी,

दोनों निवासी-ग्रा० सहुआर, तह० देक्सर, जिला- सिंगरौली,

—गैरनिगरानीकर्ता गण/अना०गण

निगरानी विस्त्र आदेश न्याया० अपर कलेक्टर

जिला- सिंगरौली ₹५०००० द्वारा प्रकरण क्र०-

25/निग०/2010-11 पारित आदेश दिनांक

16-05-12 •

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मञ्च००००रा०००

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

४।४ यह कि विद्वान मातवहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

४।५ यह कि मौजा सहुआर, तह० देक्सर, जिला- सिंगरौली ₹५०००० की अ०० न० ५११/१ रक्वा १०५२, ९१९/१ रक्वा ०२०२, ११५ रक्वा ०१३८ के अभियुक्त भूमिस्वामी गुरदनिया पुत्री स्व० इन्द्रपतिराम

१६।७।१२

(42)

(86)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावलियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2590-J/12 जिला- सिंहराम

सोनकान्धा ब्राह्मण विरुद्ध शम प्रसाद ब्राह्मण वगर

(1)	(2)	(3)
16-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री शनौर को मन्त्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लेक्टर अपर क्लेक्टर, जिला सिंहराम के प्रकरण क्रमांक 25/निगा/2010-।। में पारित आदेश दिनांक 16.05.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपाठि संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	